न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा (राज0)
पीठासीन अधिकारी, अश्विन के पंवार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 25/2020 दायर दिनांक–31.08.2020
निर्णय दिनांकः–08.06.2021

श्रीमती रूपली पत्नि कमलाशंकर भगोरा भील उम्र वयस्क निवासी नवागांव तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

–वादी

बनाम

1– सवजी पिता रमेश उम्र वयस्क
2– मोहन पिता श्री नानका उम्र वयस्क निवासीयान लेहणा पटवार क्षेत्र खजुरी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
3– मनजी पिता काला कोटेड मीणा उम्र वयस्क निवासी नयागांव बिछीवाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर
4– कमलाशंकर पिता नानका मीणा नि. लेहणा
5– श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय बिछीवाडा जिला डूंगरपुर(राज)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा एवं कानूनी बंटवारा कराए जाकर खाते अलग अलग कराए जाने हस्ब दफा 88, 188/53 आर.टी.ए.

उपस्थितः–
1– श्री रोकेन्द्र सिंह – वादी
2– श्री कृष्णराज सिंह –प्रतिवादी

::अन्तिम निर्णय ::

वाद का संक्षिप्त निर्णय इस प्रकार है कि वादी की ओर से इस आशय का वाद पेश किया कि मौजा लेहणा पटवार मण्डल खजुरी में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त खाते की आराजियात संवत् 2070 से 2073 के खाता नं. 38 नया वो पुराना 129 में खसरा नं. 61 रकबा 3 बीघा जमीन स्थित है जिसमें वादीया का बहिस्सा 3/16 हिस्सा, एवं प्रतिवादी नं. नम्बर एक सवजी का बहिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 मोहन का बहिस्सा 1/4 एवं उसकी बहन मृतक समसु का बहिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 3 मनजी का बहिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है। समसु फौत मोहन पिता नानका 7/48 , सवजी पिता नानका 1/3, कमलाशंकर पिता नानका 1/12 हिस्सा दर्ज है।

यह कि वादीया ने प्रतिवादीया से उक्त आराजियात का बहिस्सा 3/16 जरिए रजिस्टर विक्रय विलेख से क्रय किया है। एवं प्रतिवादिया ने आपस में बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते हुए आ रहे थे एवं परन्तु वादीयां की जमीन पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करना चाहते है, तथा विक्रय विलेख के समय प्रतिवादीगण ने वादीयां को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया था, और कब्जे के आधार पर वादीयां मौके पर काबिज है। जिसमें भूमि का कानूनी बंटवारा कर पृथक –पृथक खाता कायम किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना/सम्मन तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही। शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश 18.02.2021 को जारी किये गये। वादी एवं प्रतिवादी वकील द्वारा प्रकरण बंटवारा का होने से सहमति प्रदान करने पर दिनांक 18.03.2021 को प्रारंभिक डिक्री जारी की गयी थी कि मौजा लेहणा के खाता नं. 38 नया वो पुराना 129 में खसरा नं. 61 रकबा 3 बीघा जमीन स्थित है जिसमें वादीया का बहिस्सा 3/16 हिस्सा, एवं प्रतिवादी नं. नम्बर एक सवजी का बहिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 मोहन का बहिस्सा 1/4 एवं उसकी बहन मृतक समसु का बहिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 3 मनजी का बहिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड में

इन्द्राज है। समसु फौत मोहन पिता नानका 7/48 , सवजी पिता नानका 1/3, कमलाशंकर पिता नानका 1/12 हिस्सा दर्ज है का विधिवत कानूनी बंटवारा करते हुए बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस चाही गयी थी। प्रारंभिक डिक्री के अनुसरण में तहसीलदार बिछीवाडा को पालनार्थ भेजी जाने पर जरिये पत्र कमांक 548 दिनांक 25.05.2021 द्वारा पालना कर रिपोर्ट भिजवाई थी। प्रतिवादीगणों को जरिए नोटिस दिनांक 30.03.2021, 12.04.2021 एवं 16.04.2021 मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया था परंतु प्रतिवादी अनुपस्थिति रहे। पुनः 30.04.2021 को भी नोटिस से तलब किया जाने पर मौके पर वादी उपस्थित एवं प्रतिवादी अनुपस्थित रहे। मौके पर उपस्थित वादी एवं मौतबिरान के रूबरू मौका देखा गया। जिसका कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई। उक्त बंटवारा स्कीम के अनुसरण में आज दिनांक 03.06.2021 को उभय पक्षकारन वकील उपस्थित हुए। बंटवारा स्कीम के अनुसरण में वादी वकील एवं प्रतिवादी वकील द्वारा अंतिम डिक्री जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

तहसीलदार बिछीवाडा से मौजा लेहणा के खसरा नं. 61 रकबा 3 बीघा किस्त सु.।। लगान 1.80 की बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

रूपली पत्नि कमलाशंकर भगौरा सा. नयागांव त. बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर				मोहन पिता नानका 3/16, सवजी पिता रमेश 5/12, कमलाशंकर पिता नानका 5/48, मनजी पिता काला कोटेड 5/16 भील सा. बिछीवाडा खातेदार			
खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
./61	0.11	सु. ।।	0.35	61	2.09	सु.।।	1.45

उपरोक्त बंटवारा अनुसार मौजा लेहणा के खाता नं. 38 नया वो पुराना 129 में खसरा नं. 61 रकबा 3 बीघा को खातेदारो के मध्य अन्तिम निर्णय पारित कर वाद डिक्री किया जाता है। बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस इस आदेश/निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2021 को सरेईजलसा सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाडा

डिकरी व मुकदमें ईब्तदाई
(सिविल प्रोसिजर कोर्ड एनिन्डिक्स ए)
अज–अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज0)
बईजलास– अश्विन के. पंवार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 25 / 2020 — दायर दिनांक–31.08.2020

अंतिम निर्णय दिनांकः–08.06.2021

श्रीमती रूपली पत्नि कमलाशंकर भगोरा भील उम्र वयस्क निवासी नवागांव तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

बनाम

1– सवजी पिता रमेश उम्र वयस्क
2– मोहन पिता श्री नानका उम्र वयस्क निवासीयान लेहणा पटवार क्षेत्र खजुरी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
3– मनजी पिता काला कोटेड मीणा उम्र वयस्क निवासी नयागांव बिछीवाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर
4– कमलाशंकर पिता नानका मीणा नि. लेहणा
5– श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय बिछीवाडा जिला डूंगरपुर(राज)

दावा बाबत् जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा एवं कानूनी बंटवारा कराए जाकर खाते अलग अलग कराए जाने हस्ब दफा 88, 188/53 आर.टी.ए.

उपस्थितः–
1– श्री रोकेन्द्र सिंह – वादी
2– श्री कृष्णराज सिंह –प्रतिवादी

यह मुकमदा आज वास्तें इनफिसल कतई रूबरू अश्विन के.पवार आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री रोकेन्द्र सिंह एवं कृष्णराजसिंह एवं पैरोकार सरकार तहसील बिछीवाडा पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

राजस्व ग्राम लेहणा के खसरा नं. 61 रकबा 3 बीघा किस्त सु.।। लगान 1.80

रूपली पत्नि कमलाशंकर भगौरा सा. नयागांव त. बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर				मोहन पिता नानका 3/16, सवजी पिता रमेश 5/12, कमलाशंकर पिता नानका 5/48, मनजी पिता काला कोटेड 5/16 भील सा. बिछीवाडा खातेदार			
खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
./61	0.11	सु. ।।	0.35	61	2.09	सु.।।	1.45

उपरोक्त खातेदारो के मध्य अन्तिम बंटवारा स्कीम का पर्चा डिकी जारी किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फेसल में शुमार हो दाखिल दफ्तर होवे।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर अदालत के आज दिनांक 08.06.2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाडा

मुदबई	रूपया/पैसा	मद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाडा